

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक-29/11/2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल प्रखंड के स्वास्थ्य उपकेन्द्र, लाउद के भवन निर्माण कार्य हेतु 25,69,894/- (पच्चीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ चौरानवें) रुपये मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति ।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक-2729, दिनांक-08.12.2014 से प्राप्त प्रति यूनिट प्राक्कलित दर पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल प्रखंड के स्वास्थ्य उपकेन्द्र, लाउद के भवन निर्माण कार्य हेतु 25,69,894/- (पच्चीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ चौरानवें) रुपये मात्र व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है ।

(2) उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगा:-

- (i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।
- (ii) भूमि उपलब्ध होने पर तदसंबंधी भवन निर्माण का कार्य किया जाएगा ।
- (iii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा ।
- (iv) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।
- (v) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।
- (vi) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (vii) निगम के संबंधित अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।


(3) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0109-स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण, विपत्र कोड-20-4210020510109, विषय शीर्ष-(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

(4) इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी बी०टी०सी० फार्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से निगम के पी०एल० खाता संख्या-PLA-244 एवं विपत्र कोड-K8448001110002 में सुलभ करायेंगे ।



- (5) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण विवरणी (Plus-Minus Memoranda) माहवार तथा एतद्संबंधी डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर सुलभ करायेंगे ।
- (6) राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि0(2), दिनांक-17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक-27.11.2007 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी ।
- (7) राशि की निकासी उपर्युक्त कंडिका-3 के मुख्य शीर्ष / उपशीर्ष में उपबंधित राशि से की जायेगी ।
- (8) राशि की निकासी नया सचिवालय, विकास भवन, कोषागार, पटना से की जायेगी ।
- (9) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
- (10) प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है ।
- (11) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-10/उप0-09-10/2017 के पृष्ठ-...2.../टि0 में प्राप्त है ।
- (12) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है । आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


28/11/17
(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव ।


ज्ञापांक:-

1085 (10)

/स्वा0, पटना, दिनांक:- 29/11/2017

प्रतिलिपि- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, बिस्कोमान भवन, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा/जिला पदाधिकारी, सुपौल/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, कोसी प्रमंडल, सहरसा/सिविल सर्जन, सुपौल/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुपौल/ कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10 /संबंधित सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


28/11/17
सरकार के विशेष सचिव ।